

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०- 133/2011

गीता प्रसाद सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
16.04.2015	<p>यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं० 14951/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.01.15 से संबंधित है। यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1004/आ० दिनांक 19.11.11 के विरुद्ध दाखिल है।</p> <p>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को दरियापुर प्रखंड के सभी पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जाँच विभिन्न जाँच दल के द्वारा कराई गई। दरियापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत विश्वम्भरपुर के विक्रेता श्री गीता प्रसाद सिंह, 60/07 की दूकान की भी जाँच की गई। जाँच के क्रम में विक्रेता की दूकान बन्द पाई गई जिसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 943/आ० दिनांक 11.11.11 के द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी, जिसके विरुद्ध विक्रेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है।</p> <p>अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि दिनांक 24.10.11 को डायरीया होने के कारण विक्रेता को हाजीपुर डों से दिखाने के लिए जाना पड़ा। विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ चिकित्सक की सलाह पेशी संलग्न की गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि दूकान के एक दिन बन्द रहने की स्थिति में विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने जैसी गंभीर सजा देना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द</p>	

करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञा सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञापति को रद्द रखा जाना उचित होगा।


उभय पक्षा को सुनन एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। जॉच के कम में दूकान यदि बन्द पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता को सभी कागजात एवं पंजियों के साथ कार्यालय में बुलाते एवं उनकी जॉच की जाती और यदि जॉच में कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा करते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। विक्रेता की दूकान से संबंध उपभोक्ताओं का बयान भी जॉच दल के द्वारा नहीं लिया गया है। इससे भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री के उठाव एवं वितरण में कोई अनियमितता बरती जा रही थी।


अपीलार्थी को निर्देश है कि भविष्य में कभी भी किसी अपरिहार्य कारणवश यदि वे दूकान पर उपस्थित न हो तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा दूकान का संचालन अवश्य सुनिश्चित करावें। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में किसी भी परिस्थिति में निर्धारित कार्य अवधि के दौरान दूकान बन्द न रखी जाय। साथ ही, अपनी अनुपस्थिति के संबंध में नियंत्री पदाधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।


अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 15.12.11 को स्वीकृत किया जाता है।


वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित


जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।


जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 256 / व्याप / दिनांक 17/4/15
प्रतिलिपि - माडुतंडल पदाधिकारी, सोनपुर को अमिलौव कूल में
संलग्न कर स्वयंमार्च एवं माकब्रयड कर्जार्च प्रेषित।
प्रतिलिपि - D90, N9C, साय को उपरत आदेश वस जिले
Apparil appeal  website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय सप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण

17/4/15